सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार शर्मा, आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 06/2017

अशोक कुमार बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल बंशीवाल जाति बंशीवाल निवासी जोशी की कोठी, लालसोट रोड, दौसा तहसील व जिला दौसा हाल निवासी दिल्ली ...प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति कमला बजाज पत्नि श्री सतीश कुमार बजाज जाति बंशीवाल निवासी पोकेट डी–15/291 सेक्टर नम्बर 3 रोहिणी नई दिल्ली।
2. नन्दलाल बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल जाति बंशीवाल निवासी 4–त–3 जवाहर नगर जयपुर।
3. श्रीमति रामदेवी पत्नि श्री देवीलाल बंशीवाल निवासी 8772 रोशनआरा रोड दिल्ली।
4. महेश व्यस्क पुत्र श्री देवीलाल निवासी 8772 रोशनआरा रोड दिल्ली।
5. दिलीप पुत्र श्री देवीलाल निवासी 8772 रोशनआरा रोड दिल्ली।
6. श्रीमति कान्ता पत्नि गोविन्दसिंह पुत्री स्व0 श्री देवीलाल निवासी ए–1/64 एम आई जी फ्लैट सैक्टर नम्बर 7 रोहिणी नई दिल्ली।
7. घनश्याम पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम बंशीवाल निवासी दिल्ली।
8. जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम बंशीवाल सुपौत्र स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल निवासी दिल्ली
9. श्री मिथुन बंशीवाल स्व0 श्री ब्रजभुषण बंशीवाल सुपौत्र स्व0 श्री राधेश्याम बंशीवाल निवासी दिल्ली
10. श्रीमति कौशल्या पत्नि श्री बृजभुषण बंशीवाल निवासी दिल्ली।
11. श्रीमति प्रेमदेवी बंशीवाल पत्नि स्व0 श्री श्यामलाल बंशीवाल निवासी ए–1/278 पश्चिम विहार नई दिल्ली।
12. सिद्धार्थ बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल बंशीवाल ए–1/278 पश्चिम विहार नई दिल्ली
13. कु0 ज्योत्सना पुत्री स्व0 श्री श्यामलाल बंशीलाल ए–1/278 पश्चिम विहार नई दिल्ली।
14. बलबीर बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री जियालाल बंशीवाल
15. विक्रम बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री जियालाल बंशीवाली
16. कौशल्या बंशीवाल पत्नि स्व0 श्री जियालाल बंशीवाल
17. श्रीमति सीमा पुत्री स्व0 श्री जियालाल बंशीवाल
18. श्रीमति रतना पुत्री स्व0 श्री जियालाल बंशीवाल
19. श्रीमति सपना पुत्री स्व0 श्री जियालाल बंशीवाल समस्त जाति बंशीवाल निवासी 31, जय जवान कॉलोनी टोंक रोड जयपुर।
20. श्री गोपीनाथ बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल निवासी 8772 रोशनआरा रोड, नई दिल्ली।
21. श्रीमति विमला बजाज पत्नि श्री सुरेन्द्र कुमार जी पुत्री स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल निवासी सी–228 विस्तार राजोरी गार्डन नई दिल्ली।
22. मोहनलाल बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल निवासी डी यू– 163 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली।
23. राकेश बंशीवाल पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल बंशीवाल निवासी 104 माउण्ट बिल्डिंग अंधेरी वेस्ट मुम्बई।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
25. उप पंजीयक दौसा कार्यालय जिला कलैक्ट्रेट दौसा
26. श्री सन्तोष कुमार गोयल उप जिला कलेक्टर दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र स्थानांतरण

उपस्थितिः 1. श्री उमेश कुमार गौड अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से

निर्णय दि0 02.05.2018

संक्षिप्त विवरण स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा के यहां प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उनवानी वाद कमला बजाज बनाम नंदलाल बंशीवाल विचाराधीन है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा न होने से यह स्थानांतरण प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जॉच टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दावा उद्घोषणा भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। प्रा0 पत्र में अंकित तथ्य झूंठे एवं कपोल कल्पित है। माननीय न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। प्रार्थी बेवजह हैरान व परेशान करने की गरज से स्थानान्तरण प्रा0 पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रा0 पत्र स्थानांतरण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को अवसर देने के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए न ही प्रार्थी स्वयं ही उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 एक की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 27.03.2017 का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य प्रकरण उप जिला कलेक्टर, दौसा के यहॉ उद्घोषणा भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में लगाये गये आरोप मनगढन्त होना बताया है तथा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अपने पत्र में अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कई बिन्दु उठाये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित न होकर विचाराधीन वाद की मेरिट से सम्बन्धित है। किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी सबूत के कोई भी आरोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है। प्रा0 पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर पेश किया गया है। इसलिए पूरे प्रकरण का अध्योपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व बेबुनियाद है। जो चलने योग्य नही है। अतः प्रा0 पत्र स्थानान्तरण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रा0 पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भिजवाई जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02 मई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official